

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- एफ.3(1)साप्र/2/2013-पार्ट

जयपुर, दिनांक 27 JUN 2013

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.5.2013 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	8/2010	श्री दिनेश कुमार विजय नर्स ग्रेड द्वितीय कार्यालय अधीक्षक मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।	III/42 गांधीनगर	31.5.2024
2.	9/2010	डॉ० यशोदा मुस्तुरिया उप निदेशक, कार्यालय निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स, झालाना डूंगरी, जयपुर।	III/68 गांधीनगर	30.9.2030
3.	11/2010	श्री रिछपाल राम जाट मेल नर्स द्वितीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	III/72 गांधीनगर	31.7.2026
4.	20/2010	श्री सुदेश कुमार अग्रवाल सांख्यिकी अधिकारी राज्य आयोजना बोर्ड, आयोजना विभाग, जयपुर। (ए-155 जवाहर नगर,	17 / III / सी बहुमजिला गांधीनगर	31.7.2036
5.	27/2012	सुश्री निधि अग्रवाल लेखाधिकारी निदेशालय संमेकित बाल विकास सेवाए जयपुर। (नीतिगत निर्णयानुसार)	III/119 एवीएस गांधीनगर	31.10.2027
6.	50/2012	श्री राम सिंह कल्याण, लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर द्वितीय, (नीतिगत निर्णयानुसार)	III/121 एवीएस गांधीनगर	31.7.2019
7.	90/2012	श्री रमेश निर्मल नर्स ग्रेड प्रथम राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर	ए-99 जवाहरनगर	31.10.2023
8.	134/2012	श्री संतोष कुमार भीणा सहायक अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीसलपुर परियोजना खण्ड प्रथम जल भवन, जयपुर।	ए-100 जवाहरनगर	31.12.2044
9.	135/2012	डॉ० कुशमेन्द्र पाराशर, चिकित्सा अधिकारी सीएएस(डीएम) काडियोलोजी (पीजी) बीएमआरसीर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-157 जवाहरनगर	31.12.2039
10.	52/2013	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा अक्षर योजक ग्रेड-III राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ग्रेड पे-3600/--	जीए/ III / टी -1/170 विद्याधर नगर	31.8.2017

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- 2 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 3 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 नियन्त्रक सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
- 5 अधीक्षक सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- 6 अधीक्षक मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
- 7 मुख्य निरीक्षक, कारखाना बॉयलर्स झालाना डूंगरी जयपुर।
- 8 शासन उप सचिव, राज्य आयोजना बोर्ड, आयोजना विभाग, जयपुर।
- 9 निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 10 निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 निदेशक समेकित बाल सेवाएं राजस्थान, जयपुर।
- 12 संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर-II।
- 13 अधीक्षक राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
- 14 वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य अभियन्ता, जल प्रदाय, सीवरेज, जल भवन, जयपुर।
- 15 निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
- 16 कोषाधिकारी कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
- 17 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
- 18 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ जयपुर वि०वि० निगम लि० गांधीनगर/मालवीयनगर/जवाहरनगर/विद्याधरनगर जयपुर।
- 19 प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- 20 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
- 21 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
- 22 श्री रिछपाल राम जाट, मेल नर्स-II, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् बहुमंजिला आवास हेतु विचारणीय होगा।
- 23 निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 24 शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- 25 अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
- 26 रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव